न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश, मकराना जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)।
पीठासीन अधिकारी :– आशा चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी विविध सं. :– 45 / 2024, सी.आई.एस. नं. :– 45 / 2024
सी.एन.आर. नं. :– RJDK080002002024
आदेश दिनांक :– 04 / 08 / 2026

1. आसाम कुमार पुत्र नारायणलाल, उम्र 49 वर्ष, निवासी सांवरिया मार्बल्स मकराना बाईपास रोड़, बोरावड़, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

—— प्रार्थी

ब ना म

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, जिला डीडवाना–कुचामन।
2. अतिरिक्त खान निदेशक, खान एवं भू–गर्भ विभाग, जयपुर।
3. खनि अभियन्ता, खान एवं भू–गर्भ विभाग, मकराना।
4. सरिता पत्नी राजेश कुमार शर्मा, उम्र 50 वर्ष, निवासी एफ–69, सेक्टर–8, चित्रकुट वैशाली नगर जयपुर, हाल पता– मिश्रा मार्बल, मकराना बाईपास रोड़, बोरावड़, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।
5. सहायक अभियंता (ग्रामीण) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मकराना, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

——— अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से	–	अधिवक्ता श्री सिकन्दर खान, श्री संजय खान।
अप्रार्थी सं. 04 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़।
अप्रार्थी सं. 05 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सोनी,श्री अबरार अहमद

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांक :– 04 / 08 / 2026

–:: आदेश ::–

1. प्रार्थी आसाम कुमार ने अप्रार्थीगण राजस्थान राज्य व अन्य के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी सांवरिया मार्बल्स, मकराना बाईपास रोड, बोरावड तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन में स्थित खसरा नं. 375 में अपना व्यवसाय करता है और प्रार्थी अपने इस व्यावसायिक स्थल पर खसरा नं. 668 / 532, 669 / 532, 670 / 532 में मौजूद रास्ते का भी उपयोग–उपभोग करते हुये अपने व्यावसायिक स्थल पर

आता–जाता है और इस रास्ते की भूमि का उपयोग–उपभोग करने का अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। पूर्व में खसरा सं. 532/375 वाके ग्राम बोरावड, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन वहां करता था, जिसका वर्तमान में खसरा सं. 668/532, 669/532, 670/532 है जो अप्रार्थी सं. 04 ने अन्य खातेदारों ने रास्ता को सम्मिलित करके बंटवारा कर लिया है। अप्रार्थी सं. 4 द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर से संबंधित जो सम्पत्ति जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 20.11.2023 के कय की गई। मौजा बोरावड पटवार हल्का बोरावड भू–अभिलेख निरीक्षक बोरावड, तहसील मकाराना के राजस्व रिकॉर्ड के खसरा सं. 532൦375 में स्थित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 0.1560 हैक्टर है, जिसके पूर्व में 20 फुट चौडा रास्ता, पश्चिम में अप्रार्थी सं. 4 की भूमि, उत्तर में इसी कृषि की शेष भूमि तथा दक्षिण में प्रार्थी की भूमि स्थित है। उपरोक्त विकय पत्र में अंकितानुसार अप्रार्थी सं. 4 द्वारा कय की गई सम्पत्ति के दक्षिणी दिशा में प्रार्थी की भूमि मौजूद है और प्रार्थी अपनी उक्त सम्पत्ति में उक्त विक्रय पत्र में अंकित 20 फुट चौडे रास्ते का भी उपयोग–उपभोग करते हुये आता–जाता है और उसके इस अधिकार में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करने का अधिकार अप्रार्थी सं. 4 को प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी सं. 4 ने उक्त रास्ते के संबंध में मौजूद वास्तविक तथ्य को छुपाते हुये खान विभाग में रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुये माईनिंग का लाइसेन्स प्राप्त करने के संबंध में अप्रार्थी सं. 3 के कार्यालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है जबकि रास्ते की भूमि के संबंध मे विधिनुसार किसी प्रकार का कोई माईनिंग का लाइसेन्स प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं. 4 ने विकय–पत्र में पूर्व दिशा में अंकित रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुये माईनिंग विभाग से लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु जो आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर अप्रार्थी सं. 3 द्वारा लाइसेन्स जारी किया जाना विधि विरूद्ध होगा तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते के संबंध में प्राप्त विधिक अधिकारों का भी हनन होगा। हमेशा की तरह जब प्रार्थी अपनी सम्पत्ति के उत्तरी दिशा में मौजूद उपरोक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करते हुये आवागमन कर रहा था तो अप्रार्थी सं. 4 के पति द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि वह इस रास्ते का उपयोग–उपभोग नहीं करे क्योंकि उन्होंने इस रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुये खान विभाग से

माईनिंग का लाईसेन्स प्राप्त करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है और शीघ्र ही अप्रार्थी सं. 4 के नाम उक्त स्थान का माईनिंग लाईसेन्स प्राप्त हो जायेगा, इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त रास्ते की जगह को उपयोग व उपभोग नहीं करने के संबंध मे अवगत कराया परन्तु प्रार्थी अपने विधिक अधिकार स्वरूप उपरोक्त रास्ते का उपयोग—उपभोग करने हेतु अधिकृत होने के कारण उक्त रास्ते की भूमि को अपने आवागमन हेतु काम में लेने का अधिकारी है परन्तु भविष्य में माईनिंग विभाग द्वारा लाईसेन्स दिये जाने को लेकर आश्वस्त हो जाने के कारण अप्रार्थी सं. 4 एवं उसके परिवार के सदस्यों ने उक्त रास्ते की भूमि पर से प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे है। अप्रार्थी सं. 3 खनि विभाग के यहां प्रस्तुत माईनिंग लाईसेन्स आवेदन—पत्र पर खान विभाग द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर अप्रार्थी सं. 4 को माईनिंग का लाईसेन्स दिये जाने पर उतारू है जबकि रास्ते की भूमि के संबंध में अप्रार्थी सं. 2 व 3 तथा प्रशासन माईनिंग का लाईसेन्स प्रदान करने हेतु विधि द्वारा बाधित है परन्तु येनकेन प्रकारेण अप्रार्थी सं. 4 रास्ते के संबंध मे वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये खान विभाग से माईनिंग का लाईसेन्स प्राप्त करने पर आमादा है और इसी परिप्रेक्ष्य में माईनिंग विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी भी अप्रार्थी सं. 4 को सदोष लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तथा उससे मिलिभगत करते हुये उसे माईनिंग का लाईसेन्स प्रदान करने हेतु तैयार—तत्पर और आमादा है। इसलिये अप्रार्थी सं. 1 से 3 को भी जरिये अस्थायी निषेधा पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे अप्रार्थी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत माईनिंग लाईसेन्स के आवेदन—पत्र पर किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही करते हुये अप्रार्थी सं. 4 को माईनिंग का लाईसेन्स प्रदान नही करे तथा उक्त रास्ते के संबंध मे यथास्थित बनाये रखे। अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा अप्रार्थी सं. 4 से मिलीभगत करते हुये जो उपरोक्त माईनिंग का लाईसेन्स प्रदान किया जाना है, उसे अप्रार्थी सं. 1 से 3 विधि अनुसार माईनिंग का लाईसेन्स रास्ते की भूमि के संबंध में देने हेतु बाधित है। यदि अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने अप्रार्थी सं. 4 को सदोष लाभ पहुंचाते हुये तथा उससे मिलिभगत करते हुये रास्ते की भूमि के संबंध में माईनिंग का लाइसेन्स प्रदान कर देते हैं तो प्रार्थी को उक्त रास्ते में निहित अधिकार से वंचित हो जायेगा और प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन भी कारित

होगा, इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। उपरोक्त खसरान की भूमि में से 11000 के.वी. हाई वोल्टेज की तार लाईन अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा गत 40–50 वर्षो से निकली हुई है जिसको भी हटाने हेतु एवं उनके खसरा में स्थित करना विद्युत विभाग चाहता है जिसके स्थिर रहने पर भी उपरोक्त खसरान में माईनिंग विभाग द्वारा कानूनी रूप से लाईन जारी नहीं किया जा सकता है एवं अप्रार्थी संख्या 5 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जरूरी है जो कि विद्युत लाईन डाली हुई है उसे अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित नहीं करे एवं विद्युत लाईन की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 4 द्वारा माईनिंग लाईसेन्स का आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की जानकारी दिनांक 20.03.2024 को तब प्राप्त हुई, जब उपरोक्तानुसार अप्रार्थी सं. 4 के पति ने उक्त रास्ते के उपयोग–उपभोग करने में प्रार्थी को व्यवधान कारित किया और उसी दिन माईनिंग विभाग की टीम द्वारा लाईसेन्स प्रदान करने से पूर्व किये जाने वाले सर्वे एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर आये तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की जगह पर माईनिंग लाईसेन्स प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में मांग की तथा इसके बावजूद भी माईनिंग विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा अप्रार्थी सं. 4 को उक्त स्थान का माईनिंग लाईसेन्स प्रदान किये जाने के संबंध में आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु अवगत कराया। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद बहुत ही आवश्यक प्रकृति का है क्योंकि अप्रार्थीगण, प्रार्थी को धमकी दे रहें है कि वह शीघ्रताशीघ्र वादी के खसरान की भूमि में से प्रार्थी की जायदाद के उत्तरी तरफ रास्ता को सम्मिलित करते हुए माईनिग विभाग में खान आवंटित करवा लेंगें एवं उक्त विद्युत लाईन को स्थानान्तरण कर देगें, ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व नोटिस दिये जाने में जो समय व्यतीत होगा, जिससे प्रार्थी का वाद/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा, इसलिए प्रार्थी धारा 80(2) सी.पी.सी. के अधीन वाद/प्रार्थना–पत्र पूर्व प्रेषित किये जाने वाले नोटिस की छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। सबल प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा के संतुलन का बिन्दु उपरोक्त अनुसार प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान है यदि अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते की भूमि के संबंध में माईनिंग लाईसेन्स जारी

किये जाने हेतु नही रोका गया तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 से 3 को व उनके अधिकारी, कर्मचारी को ताफेसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे अप्रार्थी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत माईनिंग विभाग में लाईसेन्स प्राप्त करने के आवेदन—पत्र पर उपर वर्णित कारणवश किसी प्रकार का कोई माइनिंग लाईसेन्स जारी नहीं करे तथा अप्रार्थी सं. 4 व उसके परिवार के सदस्य, वारिस, एजेन्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी हॉल्डर, ठेकेदार इत्यादि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वे वादपत्र की चरण सं. 3 में अंकित 20 फुट चौडे रास्ते के उपयोग—उपभोग किये जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और उपरोक्त खसरान की यथास्थिति बनाये रखे एवं वादग्रस्त खसरे में अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा विद्युत तार व पोल लगे हुए है, उन्हें अन्य जगह स्थानान्तरित नहीं करने तथा यथास्थिति बनायने रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

3. अप्रार्थी सं. 01 ता 03 को जवाब प्रार्थना—पत्र हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई जवाब प्रार्थना—पत्र पेश नहीं किये जाने के कारण दिनांक 06.10.2025 को अप्रार्थी सं. 01 ता 03 की जवाबदेही बंद की गई।

4. प्रार्थी के उक्त प्रार्थना—पत्र का **जवाब अप्रार्थी सं. 04** ने इस आशय का पेश किया कि ग्राम बोरावड़ में स्थित खसरा नम्बर 668/532 उसकी खातेदारी की भूमि है एवं खसरा नम्बर 669/532 उसके पति राजेश कुमार शर्मा की खातेदारी की कृषि भूमि है एवं खसरा नम्बर 670/532 सोहनलाल पुत्र मांगीलाल, माणकचन्द पुत्र लूणाराम, प्रेमदेवी पत्नी लूणाराम, प्रकाश पुत्र लूणाराम, नन्दकिशोर पुत्र लूणाराम की खातेदारी की कृषि भूमि है। खसरा नम्बर 668/532, 669/532 में कोई मौजूदा रास्ता नहीं है इसलिए इसका प्रार्थी द्वारा उपयोग—उपभोग करना कतई गलत है। खसरा नम्बर 375 का रास्ता कभी भी इस पैरे में वर्णित खसरो में नही रहा है। खसरा नम्बर 375 कृषि भूमि है इसलिए इसमें व्यवसाय करना कतई अवैध है। खसरा नम्बर 375 का रास्ता इस खसरे के सिंवाजोड़ दक्षिणी तरफ स्थित खसरा नम्बर 464/374 में स्थित उसके पिता एवं माता गंगा देवी के नाम से अंकित भूमि में से हो कर है। उसकी भूमि में से इसका कोई रास्ता नहीं है एवं न ही

इस भूमि में प्रार्थी को किसी भी प्रकार के उपयोग—उपभोग का अधिकार है। खसरा नम्बर 532/375 पहले सोहनलाल पुत्र मांगीलाल, नन्द किशोर पुत्र लूणाराम, प्रकाश पुत्र लूणाराम, प्रेम देवी पत्नी लूणाराम, माणकचन्द पुत्र लूणाराम उसकी एवं उसके पति की संयुक्त खातेदारी का था, जिसका उन्होंने राजीखुशी उनकी सहुलियत के हिसाब से बंटवारा कर लिया है। इसके राजस्व रिकॉर्ड में न तो पहले कभी रास्ता अंकित था एवं न ही वर्तमान में कोई रास्ता अंकित है, इसलिए यह अंकित करना की रास्ते को सम्मिलित करके बंटवारा कर लिया कतई मानने योग्य नही है। खसरा नम्बर 532/375 पहले मूल खातेदार सोहनलाल, नन्द किशोर, प्रकाश चन्द, प्रेम देवी, माणक चन्द की खातेदारी का था जिसमें से एक हिस्सा उसने जरिये पंजीकृत बेचाननामा खरीद किया था। इस बेचान में अंकित पूर्वी तरफ का रास्ता खातेदार द्वारा केवल इस हिस्से तक उसकी पहुँच के लिए अंकित करवाया था। यह रास्ता खसरा नम्बर 375 की सीमा तक नहीं था। इस बेचान के बाद सभी खातेदारो ने मौके पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के तहत सक्षम अधिकारी भूमिधारी तहसीलदार मकराना के यहाँ उपस्थित होकर बंटवारा कर लिया था एवं तहसीलदार मकराना ने मौके की स्थिति अनुसार जाँच कर बंटवारा कर दिया। इस बंटवारे में क्योंकि खातेदार सोहनलाल, प्रेम देवी, नन्द किशोर, प्रकाश चन्द के मुख्य रास्ता लगता था एवं उसकी भूमि इस भूमि के संलग्न थी इसलिए पहुँच की कोई समस्या न होने के कारण मौके पर राजीखुशी बंटवारा कर लिया था। इस बंटवारे में उन्होंने किसी भी सार्वजनिक या रिकॉर्डेड रास्ते को सम्मिलित नहीं किया था। खसरा नम्बर 532/375 में प्रार्थी का कोई हक—अधिकार नही है, इसलिए केवल बेचान में उन खरीददार एवं बेचानकर्ता ने उनकी खरीद भूमि तक रास्ता अंकित कर भी दिया है तो इससे प्रार्थी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। प्रार्थी ने मात्र इस बेचान को अपनी सहुलियत के हिसाब से बिना किसी अधिकार के वर्णन करते हुये अपने अधिकार बताने चाहे है जो कतई मानने योग्य नही है। बेचान में अंकित रास्ता केवल उसकी खरीददार की भूमि तक पहुँच के लिए अंकित करवाया था। मौके पर प्रार्थी के खसरे तक खसरा नम्बर 532/375 में से कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थी केवल बेचान के अंकन का

दुरूपयोग कर रास्ता कायम करना चाहता है। बेचान का अंकन केवल बेचानकर्ताओं एवं उसके अधिकार तक ही सीमित था। इस बेचान के बाद विधिवत् रूप से खातेदारों में बंटवारा हो गया था एवं उस बंटवारे के अनुसार खातेदार अपने—अपने हिस्से पर काबिज है। जब प्रार्थी के खसरा नम्बर 375 तक कोई रास्ता रहा ही नहीं तो बाधा पहुँचाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मौके पर कभी भी खसरा नम्बर 532/375 में से खसरा नम्बर 375 तक कोई रास्ता नहीं रहा है एवं न ही कभी रेकर्ड में रास्ता रहा है। बेचान में अंकित रास्ता केवल उसकी खरीद भूमि की सहुलियत के लिए अंकित करवाया गया था। प्रार्थी जिस स्थान को रास्ता बता रहा है, वह आगे कहीं पर भी नहीं निकलता है। प्रार्थी ने मात्र व्यावसायिक द्वेषता के हिसाब से यह वाद/आवेदन पत्र पेश किया है जो कतई चलने योग्य नही है। खान विभाग को किसी भी खातेदार की भूमि का लाईसेन्स जारी करने का कानूनी अधिकार है। इसलिए इस अधिकार को किसी वाद के जरिये रोका नहीं जा सकता है। प्रार्थी के किसी भी अधिकार का हनन नही हो रहा है। खसरा नम्बर 375 के उतरी तरफ उसके एवं उसके पति की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 668/532 एवं खसरा नम्बर 669/532 आई हुई है, जिसमें कोई रास्ता नहीं रहा है। लाईसेन्स जारी करना या नहीं जारी करना एक वैधानिक प्रक्रिया है जो सम्पूर्ण जाँच हो कर पूरी की जाती है। कानूनन उसे किसी वाद/आवेदन पत्र के जरिये रूकवाया नहीं जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 लाईसेन्स जारी करने में किसी भी कानून से बाधित नहीं है एवं न ही वे येनकेन प्रकारेण लाईसेन्स जारी करते है। लाईसेन्स जारी करने की एक विधिक प्रक्रिया है, उस विधिक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही लाईसेन्स जारी किये जाते है। प्रार्थी को लाईसेन्स जारी करने से रूकवाने का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थी जिस स्थान को रास्ता बताना चाहता है, वह खसरा नम्बर 668/532, 669/532 की कृषि भूमि है, इसलिए इसके खातेदार को इसका उपयोग—उपभोग अपने हिसाब से करने का अधिकार है। प्रार्थी ने इसे गलत रूप से रास्ता वर्णित किया है। प्रार्थी का रास्ता खसरा नम्बर 375 के दक्षिणी तरफ उसकी स्वयं की जायदाद में से है। प्रार्थी किसी भी कानून में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त खसरो में प्रार्थी को

कोई हक अधिकार नहीं है। विद्युत विभाग अपनी तार लाईन किसी भी खसरे से अपनी सुविधानुसार हटाने की अधिकारी है। उसके इस कृत्य से रोकने का प्रार्थी किसी भी कानून में अधिकारी नही है एवं न ही वह इस विद्युत लाईन के सन्दर्भ में यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने इस आवेदन—पत्र में कहीं भी अंकित नही किया है कि वह किस अधिकार से विद्युत विभाग को लाईन न हटाने के लिए पाबन्द करने का अधिकारी है एवं न ही यह वर्णित किया है कि इस लाईन के हटा देने से उसे किस प्रकार की क्षति हो रही है। प्रार्थी ने मात्र उसको ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से यह आवेदन पत्र पेश किया जो कतई चलने योग्य नही है। उसने अपनी खातेदारी की भूमि में खान आवंटन का आवेदन पत्र दिया है। इसे प्रार्थी ने रास्ते की भूमि गलत वर्णित किया है। उसके खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 668/532 में कभी भी रास्ता नहीं रहा है। वाद/प्रार्थना—पत्र कतई आवश्यक प्रकृति का नही है, इसलिए बिना नोटिस दिये वाद लाना कतई गलत है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टतया मामला प्रमाणित नही है एवं न ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है एवं न ही उन्हे किसी प्रकार की क्षति हो रही है। उसने अपनी खातेदारी की भूमि के लिए ही आवेदन7पत्र दिया है एवं खान विभाग भी उसकी खातेदारी भूमि में ही विधिनुसार खान आवंटित कर सकती है। प्रार्थी ने रास्ते की भूमि को सम्मिलित करने का कथन गलत अंकित किया है। **अन्य आपत्तियां** इस आशय की पेश की कि प्रार्थी ने रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना घोषणा के उसकी रिकॉर्डेड कृषि भूमि स्थाई निषेधाज्ञा चाही है जो कतई चलने योग्य नहीं है। वाद/आवेदन पत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न हो कर राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वाद धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत विधि विरूद्ध है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 668/532, 669/532 एवं 670/532 में रास्ता वर्णित करते हुये अनुतोष चाहा है इसलिए इन सभी खसरो के खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाने से यह वाद/आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र में हर्जे—खर्चे खारिज किया जावे।

5. **अप्रार्थी सं. 05** ने प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र के सभी पैराओं को अस्वीकार करते हुए जवाब इस आशय का पेश किया कि राजस्व नक्शे में खसरा नं.

668/532, 669/532, 670/532 में कोई रास्ता अंकित नहीं है। उपरोक्त खसरान की भूमि में लगे हाई वॉल्टेज की तार मौके पर खातेदारी एवं कब्जे की भूमि में है, जिसमें तार नीचे झूल रहे हैं, जिससे हर समय खातेदारी भूमि में चर रहे पशुधन की एवं जनहानि होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इन तारों को सही रूप से रास्ते पर स्थित पूर्व में स्थापित बिजली पोलों पर नये तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टि से स्थानान्तरित करना आवश्यक है। इन जन—सुविधा एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से किये जा रहे कार्य को रूकवाने का प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है और न ही प्रार्थी इस कार्य को लेकर न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जावे।

6. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि वह खसरा नं. 375 में व्यवसाय करता है। पूर्व में खसरा नं. 532/375 का मालिक नंदकिशोर था, जिसने अप्रार्थी सं. 04 व 05 को जरिये रजिस्ट्री जमीन का बेचान किया, जिसमें अप्रार्थी सं. 04 के पूर्व में 20 फुट का रास्ता और उसके पति राजेश कुमार को बेचान की गई जमीन की रजिस्ट्री में अंकितानुसार पश्चिम में 20 फुट चौड़ा रास्ता दिखाया गया है। अप्रार्थी सं. 04 और राजेश कुमार की जमीन के मध्य रास्ता कायम था, जिसका प्रार्थी उपयोग—उपभोग में ला रहा था। उक्त रास्ते का उपयोग करने का अधिकार प्रार्थी को है। अप्रार्थी सं. 04 और उसके पति राजेश कुमार ने बिना बंटवारा कराये उक्त रास्ते को मिटाने के लिए खसरा नं. 668/532 व 669/532 को शामिल करते हुए माईनिंग विभाग में नई खान आवंटित किये जाने बाबत् आवेदन किया। प्रार्थी को उक्त जमीन के रास्ते में जो हक—अधिकार प्रापत थे, उसको समाप्त करने के आशय से अप्रार्थी सं. 04 ने अपने पति के साथ मिलकर खान विभाग में आवेदन किया था। उक्त रास्ते पर प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है, इस कारण से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त खसरों की भूमि में 11 हजार के.वी. की लाईन निकली हुई है, जिसे विद्युत विभाग हटाने पर आमादा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी, अप्रार्थीगण से इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि माईनिंग विभाग में अप्रार्थी सं. 04 की ओर से पेश किये

गये आवेदन पर माईनिंग विभाग किसी प्रकार का लाईसेंस जारी नहीं करे और अप्रार्थी सं. 04 को पाबंद किया जावे कि उक्त वादग्रस्त रास्ते के उपयोग—उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे और अप्रार्थी सं. 05 जो विद्युत पोल लगा हुआ है, उसे अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं करें।

7. उक्त तर्कों के विरोध में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 04 व 05 ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नं. 668/532, 669/532 में कोई रास्ता मौजूद नहीं है। खसरा नं. 375 का रास्ता कभी भी उक्त दोनों खसरों में से होकर स्थित नहीं था। प्रार्थी के खसरा नं. 375 का रास्ता उक्त खसरों के दक्षिणी तरफ स्थित खसरा नं. 564/375 में है। खसरा नं. 532/375 अप्रार्थी सं. 04, उसके पति राजेश कुमार, सोहनलाल, नंदकिशोर, प्रकाश, प्रेमदेवी व माणकचंद के नाम से खातेदारी थी, जिसमें उन्होंने अपनी सहुलियत से बंटवारा कर लिया, उस पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अप्रार्थी सं. 04 और अन्य काश्तकारों के द्वारा स्वयं तहसीलदार मकराना के समक्ष उपस्थित होकर बंटवारा किया गया है। बंटवारा के साथ किसी रास्ते को शामिल नहीं किया गया है। खान विभाग के द्वारा अप्रार्थी सं. 04 और उसके पति की जमीन में किसी प्रकार का खान का लाईसेंस जारी किया जाता है तो यह वैधानिक प्रक्रिया है। वादग्रस्त खसरे में प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है। विद्युत विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई लाईन किसी खसरे में हटाई जाती है तो उसे रोकने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र का निस्तारण निम्न बिन्दुओं के अनुसार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः—

1. प्रथम दृष्टया मामला

2. सुविधा का संतुलन

3. अपूर्णीय क्षति

<u>1. प्रथम दृष्टया मामला</u>

9. उक्त बिन्दू के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करें तो उभय पक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी की जमीन खसरा नं. 375 में

स्थित है। हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण विवाद का बिन्दू यह है कि खसरा नं. 668/532, 669/532 में स्थित रास्ते का उपयोग—उपभोग किये जाने बाबत् प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र में तथ्य वर्णित किये हैं, जबकि इस संबंध में अप्रार्थी सं. 04 ने अपने जवाब प्रार्थना—पत्र में तथ्य वर्णित किये हैं कि खसरा नं. 668/532, 669/532 में कोई रास्ता खसरा नं. 375 का स्थित नहीं है। खसरा नं. 668/532 अप्रार्थी सं. 04 का एवं खसरा नं. 669/532 उसके पति राजेश कुमार का है। खसरा नं. 668/532, 669/532 में किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है, इस संबंध में उक्त खसरे की जमाबंदी न्यायायल के समक्ष उभय पक्षों की ओर से पेश की गई है, जिसका अवलोकन किया जावे तो उक्त खसरे में किसी प्रकार का कोई रास्ता हो, यह जमाबंदी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं हो रहा है।

10. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र में उक्त तथ्य का वर्णन किया है कि अप्रार्थी सं. 04 ने खसरा नं. 532/375, जिसका वर्तमान में खसरा नं. 668/532, 669/532, 670/532 है, जो कि अप्रार्थी सं. 04 ने अन्य खातेदार से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 20.11.2023 को खरीद किया था, जिसमें पूर्व में 20 फुट का रास्ता अंकित है व अप्रार्थी सं. 04 के पति राजेश कुमार ने भी जो जमीन का क्रय किया था, उसमें भी पश्चिम में 20 फुट का रास्ता दिखाया गया है, इस संबंध में प्रार्थी ने रजिस्ट्री की फोटोकॉपी अपने प्रार्थना—पत्र के साथ पेश की है। अप्रार्थी सं. 04 और उसके पति राजेश कुमार की रजिस्ट्री का अवलोकन किया जावे तो उसमें प्रथम दृष्टया उक्त तथ्य वर्णित हैं कि खसरा नं. 532/375 नंदकिशोर, प्रकाश, प्रेमदेवी, माणकंचद व सोहनलाल के नाम से है, जो कि उक्त व्यक्तियों की ही है और जिस पर उनका हिस्सा कब्जा चला आ रहा है, जिसमें रजिस्ट्री में वर्णित जमीन उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा अप्रार्थी सं. 04 और उसके पति राजेश कुमार को बेचान की गई है, साथ ही प्रथम दृष्टया उक्त तथ्य का भी वर्णन है कि उक्त नंदकिशोर व अन्य की सम्पूर्ण 0.9470 हैक्टेयर भूमि में से 0.1860 हैक्टेयर भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 04 को और अन्य 0.2758 हैक्टेयर भूमि का बेचान राजेश कुमार के नाम से किया गया। रजिस्ट्री में ऐसे कोई तथ्य का वर्णन नहीं है कि उक्त नंदकिशोर व अन्य के नाम से जो खसरा नं. 532/375 में 0.9470 हैक्टेयर प्रथम दृष्टया स्थित थी, उसमें से अलग से

कोई रास्ता स्वीकृत था। हालांकि उक्त दोनों ही रजिस्ट्री में प्रथम दृष्टया अप्रार्थी सं. 04 और उसके पति को जो भूमि का बेचान जरिये रजिस्ट्री किया गया है, उसमें पूर्व व पश्चिम में क्रमशः 20—20 फुट चौड़ा रास्ता दिखाया गया है, जिससे कि प्रथम दृष्टया यह दृष्टिगत होता है कि रास्ता जो दिखाया गया है, वह अप्रार्थी सं. 04 व उसके पति राजेश कुमार की रजिस्ट्री में जो रास्ता है, रास्ता वह खसरा नं. 532/375 में जो नंदकिशोर व अन्य की जमीन कुल 0.9470 हैक्टैयर है, उसमें से जो रासता दिखाया गया है, वह है लेकिन उक्त रजिस्ट्री से प्रथम दृष्टया यह दृष्टिगत नहीं होता है कि जो रास्ता अप्रार्थी सं. 04 और उसके पति राजेश कुमार को प्रथम दृष्टया जमीन नंदकिशोर व अन्य ने बेचान की, वह रास्ता प्रार्थी की भूमि पर हो और प्रार्थी का उक्त भूमि में आने—जाने के लिए उसके अधिकार हेतु भूमि छोड़ी गई हो, जबकि स्वयं प्रार्थी की ओर से जो जमाबंदी वादग्रस्त खसरे की पेश की गई है, उक्त जमाबंदी में कोई भी रास्ता प्रथम दृष्टया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो, ऐसा कोई तथ्य प्रथम दृष्टया उक्त खसरों की जमाबंदी के अवलोकन से दृष्टिगत नहीं होता है।

11. अप्रार्थी सं. 04 ने अपने जवाब प्रार्थना—पत्र में यह तथ्य वर्णित किये हैं कि प्रार्थी खसरा नं. 375 का रास्ता इस खसरे से सींवाजोड़ दक्षिणी तरफ स्थित खसरा नं. 464/374 में होकर करता है। अप्रार्थी सं. 04 ने जो अपने जवाब प्रार्थना—पत्र में तथ्य वर्णित किये हैं, उसके विरूद्ध प्रार्थी ने कोई जवाबुलजवाब न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है और न ही दौराने बहस ऐसे कोई कथन कथित किये हैं कि प्रार्थी के द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग—उपभोग प्रथम दृष्टया नहीं किया जा रहा है। साथ ही अप्रार्थी सं. 04 ने अपने जवाब प्रार्थना—पत्र में तथ्य वर्णित किये हैं कि खसरा नं. 532 के मूल खातेदार सोहनलाल, नंदकिशोर, प्रकाश, प्रेमदेवी, माणकचंद और अप्रार्थी सं. 04 व अन्य ने मौके पर तहसीलदार मकराना के समक्ष उपस्थित होकर बंटवारा कर लिया है। उक्त बंटवारे में किसी प्रकार का कोई रिकॉर्डेड रास्ते को शामिल नहीं किया गया है, इस संबंध में स्वयं प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 04 की ओर से उक्त बंटवारा के आदेश की प्रति पेश की गई है, साथ ही इस संबंध में जमाबंदी की प्रति भी अप्रार्थी सं. 04 की ओर से पेश की गई है, जिसका प्रथम दृष्टया अवलोकन किया जावे तो उसमें प्रथम

दृष्टया उक्त तथ्य का वर्णन है कि अप्रार्थी सं. 04 और उसके पति राजेश कुमार की जमीन के मध्य किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी प्रथम दृष्टया जो खसरा नं. 375 का रास्ता खसरा नं. 668 / 532, 669 / 532 और 670 / 532 में से होना बताता है, ऐसा कोई रास्ता प्रथम दृष्टया मौके पर मौजूद हो, इस संबंध में प्रथम दृष्टया जमाबंदी में कोई अंकन नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी की ओर से अन्य कोई सरकारी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी और अप्रार्थी सं. 04 की ओर से पेश की गई जमाबंदी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया दृष्टिगत होता है कि वादग्रस्त स्थल पर किसी प्रकार का कोई भी रास्ता विद्यमान नहीं है।

12. जहां तक कि अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी सं. 04 ने उक्त रास्ते के संबंध में मौजूद वास्तविक तथ्य को छुपाते हुए खान विभाग में रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए अपने पति राजेश कुमार के नाम से माईनिंग में लाईसेंस प्राप्त करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः इस कारण से उक्त प्रार्थना–पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है, इस संबंध में स्वयं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में प्रथम दृष्टया उक्त तथ्य का वर्णन किया है कि खसरा नं. 668 / 532, 669 / 532, 670 / 532 की भूमि कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि का किसी प्रकार से भी व्यावसायिक या आवासीय रूपान्तरण किया गया हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी की ओर से प्रथम दृष्टया पेश नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायालय को निम्न न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त होता है:–

1. Karan Singh Chouhan & Ors. Vs. Manu Bal Sikshan Sansthan, Soorsagar Jodhpur 2018 (2) DNJ (Raj.) 676

Suit for permanent injunction in relation to agricultural land is triable by the Revenue Court.

2. Premi Devi Vs. Deva Ram & Ors. 2009(1) DNJ (Raj.) 410
S.B. Civil Misc. Appeal No. 969/2008 Decided On 24-9-2008

Rajasthan Tenancy Act, 1955—Sec. 207—Jurisdiction of Revenue Court--Land in question was never cultivated but recorded as agricultural land in revenue record--No conversion of land from agricultural to abadi—Suit is entertainable by Revenue Court.

3. Ram Kripal Das Ji Charitable Trust Vs. Phool Chand & ors.
S.B. Civil First Appeal No. 330/2010 Decided On 29-02-2012

Held, land in dispute is recorded as agricultural land in the name of respondents and has not been converted for non-agricultural purposes—Land is not in use for agricultural purpose for a long time but this is no ground to change the nature of the land—It is also observed that temple and some other buildings have also been constructed without permission. Relief of declaration and permanent injunction regarding agricultural land can be granted only by Revenue Court.

माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कृषि भूमि से संबंधित स्थाई निषेधाज्ञा केवल मात्र राजस्व न्यायालय द्वारा ही पारित की जा सकती है। कृषि भूमि पर यदि किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य हो रखा है लेकिन यदि उक्त कृषि भूमि को आबादी भूमि के लिए रूपान्तरण नहीं कराया गया है, तब ऐसी स्थिति में वाद का Entertainable राजस्व न्यायालय के द्वारा ही किया जायेगा।

13. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, उसकी रोशनी में हस्तगत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जावे तो प्रार्थी ने वादग्रस्त स्थल के संबंध में आपत्ति दर्शित की है, वह वादग्रस्त स्थल प्रथम दृष्टया स्वयं प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 04 की ओर से पेश जमाबंदी के अनुसार अप्रार्थी सं. 04 व उसके पति का ही है और उक्त वादग्रस्त (कृषि) भूमि का किसी प्रकार का रूपान्तरण कराया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजात प्रार्थी की ओर से पेश नहीं किया गया है।

14. जहां तक कि अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि उपरोक्त खसरों की भूमि में से 11 हजार के.वी. हाई वॉल्टेज की लाईन अप्रार्थी सं. 05 हटाने पर आमादा है, इस संबंध में अप्रार्थी सं. 05 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना—पत्र में तथ्य वर्णित किये हैं कि उक्त खसरों की भूमि में लगे हाई वॉल्टेज की लाईन मौके पर खातेदारी व कब्जे की भूमि में है, जिसमें तार नीचे झूल रहे हैं, जिससे हर समय खातेदारी भूमि में चर रहे पशुधन की एवं जनहानि होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उक्त तारों को सही रूप से रास्ते पर स्थित पूर्व में स्थापित बिजली पोलों पर नये तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टि से स्थानान्तरित करना आवश्यक है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अप्रार्थी सं. 04 द्वारा

प्रस्तुत दस्तावेजात में दिनांक 18.05.2024 की मौका रिपोर्ट भी संलग्न है, जिसका प्रथम दृष्टया अवलोकन किया जावे तो उसमें प्रथम दृष्टया उक्त तथ्य का वर्णन है कि ''दिनांक 18.05.2024 को तहसीलदार मकराना के आदेश क्रमांक एल.आर/109 दिनांक 15.05.2024 की पालना में ग्राम बोरावड़ के खसरा नं. 375 में आने वाली 11 के.वी. की विद्युत लाईन की जांच करने मौक पर पहुंचा, इस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका निरीक्षण में पाया गया कि मकराना—बोरावड मुख्य सडक से होकर जा रही 11 के.वी. की विद्युत लाईन जो कि वर्तमान खसरा नं. 670/532 एवं 668/532 की पश्चिमी सीमा से होते हुए जा रही है तथा वर्तमान में विद्युत पोल खसरा नं. 670/532 व 668/532 (पुराना खसरा नं. 532/375) में स्थित है, जो कि पुराने समय से विद्युत लाईन लगी हुई है, नई लाईन नहीं लगी है'' अर्थात् उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी मौके पर जो विद्युत लाईन लगी हुई है, वह बहुत पुरानी होने के कारण अप्रार्थी सं. 05 द्वारा हटाये जाने के संबंध में मौका रिपोर्ट व अपने जवाब प्रार्थना—पत्र में तथ्य अंकित किये गये हैं, साथ ही उक्त विद्युत लाईन व पोल प्रार्थी के खसरे की भूमि पर लगी हुई हो, यह प्रथम दृष्टया प्रार्थी साबित नहीं कर पाया है, ऐसे में उक्त विद्युत पोल व लाईन को हटाये जाने से प्रार्थी के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

15. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन व पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनना पाये जाने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व 3. अपूर्णीय क्षति

16. उक्त बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि व विवेचन की पुनरावृति को निवारित करते हुए एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनने पाये जाते हैं, ऐसे में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किये जाते हैं।

—:: आदेश ::—

17. परिणामतः प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है, ऐसे में वह किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. उपरोक्तानुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(आशा चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

18. आदेश आज दिनांक 04.08.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)